# मानव तस्करी पीड़ितों का पुनर्वास: प्रज्वाला वाद में सुप्रीम कोर्ट

सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल अधिकार | समाचार संदर्भ: 29 मई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

22 वर्ष से चल रहे प्रज्वाला बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को अनुच्छेद 21 और 23 के संयुक्त पाठ से तस्करी-पीड़ितों के 'पुनर्वास के मौलिक अधिकार' को सिद्ध किया और अनुच्छेद 32 व 142 के तहत विस्तृत 'पीड़ित संरक्षण योजना' (Victim Protection Plan) जारी की — जो व्यापक केंद्रीय कानून आने तक देश का कानून होगी। बेंच ने मामले को 'हमारे दिलों के करीब' कहा।

## खबरों में क्यों

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की बेंच ने 29 मई 2026 को प्रज्वाला बनाम भारत संघ (MA 530/2022, मूल याचिका WP(C) 56/2004) में फैसला सुनाया। गैर-सरकारी संगठन प्रज्वाला ने 2004 में याचिका दायर कर व्यावसायिक यौन-शोषण (CSE) के लिए तस्करी की गईं युवतियों-बच्चों की सुरक्षा में कानूनी और संस्थागत कमियाँ उठाई थीं। कोर्ट ने कहा कि कई कानून होते हुए भी बचाव, सुरक्षा, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण का कोई समग्र, बाध्यकारी ढाँचा नहीं — इससे पीड़ितों के साथ मनमाना, असमान व्यवहार होता है। नतीजा: पूर्व-बचाव से बचाव, पुनर्वास, प्रत्यावासन, अभियोजन और रोकथाम तक — हर चरण की विस्तृत दिशानिर्देश, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश, तीन माह में अनुपालन और सितंबर 2026 में समीक्षा-सुनवाई का निर्देश।

## ITPA 1956, BNS और पलेर्मो प्रोटोकॉल: मौजूदा ढाँचा

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (ITPA) वेश्यावृत्ति-तस्करी रोकने का मुख्य विशेष कानून है — पर इसका पुनर्वास-मॉडल हिरासत-आधारित है (मजिस्ट्रेट के आदेश पर संरक्षण गृह में 1-3 वर्ष तक)। भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 मानव तस्करी को अपराध बनाती है, जिसमें वयस्कों के लिए 'कृत्य, साधन, उद्देश्य' तीनों तत्व सिद्ध करने होते हैं। पलेर्मो प्रोटोकॉल (UNTOC पूरक) अंतरराष्ट्रीय मानक है — इसका 3P ढाँचा: रोकथाम (Prevention), संरक्षण (Protection), अभियोजन (Prosecution)। फैसले ने एक खामी रेखांकित की: पलेर्मो के विपरीत BNS में बच्चे के मामले में भी 'साधन' तत्व सिद्ध करना ज़रूरी है — इस विचलन पर 'तुरंत विधायी ध्यान' माँगा गया।

## मुख्य तथ्य

**पुनर्वास = मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 21 और 23 के संयुक्त पाठ से CSE तस्करी-पीड़ितों का पुनर्वास का मौलिक अधिकार निकला; मजबूत 'पीड़ित संरक्षण योजना' और पुनर्वास-ढाँचा न देना अनुच्छेद 21 व 23 का उल्लंघन है (फैसला, LiveLaw सारांश पैरा 277-281, 290-303)।

**दो केंद्रीय सिद्धांत:** (1) प्रारंभिक पड़ताल (threshold inquiry): छापे के बाद पेश सभी व्यक्तियों में से स्वैच्छिक वयस्क यौन-कर्मियों को शुरू में पहचानकर प्रक्रिया से बाहर रखा जाए — अहस्तक्षेप का सिद्धांत; (2) पीड़ित की सहमति सर्वोपरि: संरक्षण गृह में रोक या परिवार-बहाली के आदेश पीड़ित की सूचित सहमति से हों — अपवाद केवल सुरक्षा-जोखिम या जबरन/उकसावे से प्राप्त सहमति (फैसला पैरा 450, LiveLaw पैरा 329-352)।

**योजना का दायरा:** पूर्व-बचाव, बचाव, उपरांत-बचाव, पुनर्वास, प्रत्यावासन/पुनर्एकीकरण, अभियोजन/विचारण, रोकथाम/प्रशिक्षण — सभी चरणों के दिशानिर्देश (पैरा 362), जिनका कड़ा अनुपालन अनिवार्य; बाल-पीड़ितों को तुरंत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना (JJ अधिनियम प्राथमिक); 'सामूहिक छापों' को डिफ़ॉल्ट विकल्प से हटाना; AHTU को विशिष्ट थाना घोषित करना (LiveLaw)।

**नोडल तंत्र और समय-सीमा:** प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: ITPA धारा 15(6A) के तहत 'मान्यता-प्राप्त कल्याण संस्थाएँ' अधिसूचित करें; धारा 13(3)(b) हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं के पैनल बनाएँ; ADGP-स्तरीय एंटी-ट्रैफिकिंग ब्यूरो प्रमुख = पुलिस नोडल अधिकारी; महिला एवं बाल विकास विभाग सचिव = सरकारी नोडल अधिकारी। अनुपालन 3 माह में; सितंबर 2026 में समीक्षा; फैसले की प्रतियाँ सभी उच्च न्यायालयों, गृह मंत्रालय और WCD मंत्रालय को (फैसला पैरा 456-461)।

**OCIA से इनकार:** संगठित अपराध जाँच एजेंसी (OCIA) बनाने का आदेश नहीं — मौजूदा संस्थागत ढाँचा पर्याप्त, वैकल्पिक निर्माण सरकार के विवेक पर (पैरा 454)।

**छह विधायी सुझाव:** ITPA धाराएँ 7, 8, 20 में स्पष्टीकरण — पीड़ितों पर मुकदमा न चले; हिरासत-आधारित पुनर्वास मॉडल (1-3 वर्ष) की समीक्षा; स्वैच्छिक वयस्क यौन-कर्मियों के अधिकार ('यौन-कार्य का अधिकार दिए बिना भी अधिकार मान्य हो सकते हैं'); पुलिस कदाचार के विशेष अपराध + मजिस्ट्रेट के समक्ष देरी से पेशी पर गलत हिरासत का खंडनीय अनुमान (64वीं विधि आयोग रिपोर्ट); BNS-पलेर्मो 'साधन' विचलन; सभी प्रकार की तस्करी पर समग्र कानून और साइबर-तस्करी पर एडवाइज़री (पैरा 455)।

## 22 साल चले इस वाद का यह फैसला अलग क्यों है?

**अपराध-नियंत्रण से अधिकार-आधारित मॉडल:** अब तक तस्करी-विरोधी कार्रवाई छापे और सज़ा तक सीमित रही। फैसला पीड़ित को 'बचाए जाने की वस्तु' नहीं, अधिकार-धारक व्यक्ति मानता है — पुनर्वास बचाव जितना, कदाचित उससे अधिक, महत्वपूर्ण है; असुरक्षित बहाली पुनः-तस्करी (re-trafficking) का न्योता है (LiveLaw, पैरा 254-256, 278-281)।

**सहमति और गरिमा की न्याय-परंपरा:** बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) और बुधदेव कर्मस्कार (2022) की परंपरा में — जबरन पुनर्वास 'मानवीय गरिमा के पर्याय नहीं'। यह सिद्धांत स्वैच्छिक यौन-कर्मियों और तस्करी-पीड़ितों के बीच कानूनी भेद को भी मजबूत करता है।

**अनुच्छेद 142 की सीमा-चर्चा:** व्यापक कानून के अभाव में कोर्ट ने अनुच्छेद 32+142 से बाध्यकारी योजना बनाई — न्यायिक कानून-निर्माण की क्लासिक बहस (अंतरिम व्यवस्था उचित, पर विधायिका की जगह नहीं)। मेंस में इसे न्यायिक सक्रियता बनाम संसदीय सर्वोच्चता के प्रश्न से जोड़ें।

**कार्यान्वयन की असली कसौटी:** फैसले ने दर्ज किया: कई One Stop Centres अकार्यात्मक, रेफरल स्टाफ की कमी, शक्ति सदनों में मानसिक-स्वास्थ्य/व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव, कई राज्यों ने धारा 23 ITPA के नियम नहीं बनाए, Half-way Homes का पूर्ण अभाव (LiveLaw, पैरा 298-302)। कागज़ी योजना को धरातल में बदलना ही असली परीक्षा है।

## विश्लेषण और आगे की राह

फैसले ने तीन माह की अनुपालन-सीमा और सितंबर 2026 की समीक्षा-सुनवाई तय की — यह डिज़ाइन इसे एक-मुश्त घोषणा नहीं, चलती निगरानी (continuing mandamus की परंपरा) बनाता है। फैसले के संदर्भ में आगे देखने योग्य बिंदु: (1) राज्यों के नोडल-अधिकारी और संस्था-अधिसूचनाएँ — पहली कसौटी; (2) ITPA संशोधन और समग्र तस्करी-विरोधी कानून पर केंद्र की चाल — 2015 से लटकी प्रतिबद्धता (LiveLaw); (3) BNS धारा 143 में बाल-पीड़ित 'साधन' सुधार। नीति-दृष्टि से फैसला भारत के तस्करी-प्रतिक्रिया को 3P (रोकथाम-संरक्षण-अभियोजन) से आगे चौथे P — पुनर्वास (Rehabilitation) — तक ले जाता है।

## अवधारणा में अंतर

तस्करी (trafficking) बनाम स्वैच्छिक यौन-कार्य — कानून ने दशकों तक दोनों को एक ही प्रक्रिया में रोका; फैसला भेद को मान्यता देता है। इसी तरह बचाव (rescue), पुनर्वास (rehabilitation) और पुनर्एकीकरण (reintegration) तीन अलग चरण हैं: छापे से छुड़ाना बचाव है; आजीविका, मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी सहायता पुनर्वास; समाज में गरिमापूर्ण वापसी पुनर्एकीकरण — ITPA का हिरासत-आधारित मॉडल तीनों को 'संरक्षण गृह' में बाँध देता था।

## मेंस दृष्टि

GS-I: भारतीय समाज (वेश्यावृत्ति, तस्करी, सशक्तिकरण)। GS-II: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों के संस्थागत तंत्र, कानून और न्यायपालिका। उत्तर में अनुच्छेद 21/23/32/142, ITPA-BNS-पलेर्मो त्रिकोण, और 'पीड़ित-केंद्रित' शब्दावली का प्रयोग करें; सितंबर 2026 समीक्षा को अनुपालन-तंत्र के उदाहरण के रूप में रखें।

## UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

**मानव तस्करी के विरुद्ध भारत के कानूनी प्रतिक्रिया-तंत्र में 'बचाव-आधारित' से 'अधिकार-आधारित पुनर्वास' मॉडल की ओर परिवर्तन की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में प्रज्वाला फैसले के प्रमुख योगदान की विवेचना कीजिए।**

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

### उत्तर की रूपरेखा

**भूमिका में:** अनुच्छेद 21 और 23 के संदर्भ में बचाव के बाद गरिमापूर्ण पुनर्वास की जरूरत तथा 29 मई 2026 का प्रज्वाला फैसला बताएँ।

**मुख्य भाग में:** पुराने मॉडल की कमियाँ (हिरासत-आधारित, असमान व्यवहार); अनुच्छेद 21+23 से पुनर्वास-अधिकार; योजना के सिद्धांत (पड़ताल, सहमति, नोडल तंत्र); छह विधायी सुझाव; कार्यान्वयन-चुनौतियाँ और सितंबर समीक्षा।

**निष्कर्ष में:** पीड़ित की सहमति, आजीविका, मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी सहायता से अधिकार-आधारित पुनर्वास परखें। राज्यों के नोडल तंत्र और अनुपालन-व्यवस्था की जरूरत बताएँ; सितंबर समीक्षा को फैसले में तय निगरानी की तरह लिखें, पूरी हो चुकी सुनवाई या सफल पुनर्वास का अप्रमाणित दावा न करें।

## स्रोत

- सुप्रीम कोर्ट फैसला: प्रज्वाला बनाम भारत संघ (MA 530/2022, 2026 INSC 609) — प्रामाणिक PDF, 29 मई 2026
- The Hindu: तस्करी-पीड़ितों की सुरक्षा के लिए SC के दिशानिर्देश, 29 मई 2026
- LiveLaw: सहमति पर आधारित वयस्क यौन-कार्य अपराध नहीं — विस्तृत रिपोर्ट, 29 मई 2026

जाँच-टिप्पणी: प्रामाणिक फैसला (sci.gov.in, 297 पृष्ठ, 2026 INSC 609) के प्रमुख प्रासंगिक भाग — निष्कर्ष, विधायी सुझाव और अंतिम निर्देश (पैरा 450-462) — सीधे पढ़े गए; 'पीड़ित संरक्षण योजना' की चरणवार विस्तृत सूची LiveLaw की विस्तृत रिपोर्ट (पैरा-संदर्भ सहित) से मिलाई गई, जो मूल पाठ से सुसंगत पाई गई।

**यह भी पढ़ें:** अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय की शक्ति और प्रक्रियागत जवाबदेही | ऑनलाइन बाल सुरक्षा: विज्ञापन की कमाई के साथ जवाबदेही।

**याद रखें:** तस्करी के खिलाफ लड़ाई अब केवल छापे और सज़ा की नहीं, गरिमा और पुनर्वास की है। योजना की सफलता कागज़ पर नहीं, अनुपालन और राज्यों के नोडल-तंत्र से तय होगी — फैसले ने सितंबर 2026 में समीक्षा-सुनवाई तय की थी।